



Neutral Citation No. - 2026:AHC:174084

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7841

सन् 2026

कुलदीप प्रजापति

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : अनिरुद्ध कुमार प्रजापति, दीपक कुमार प्रजापति

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : बाबुल कुमार शर्मा, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुल कुमार शर्मा और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 527 सन् 2025 में, भारतीय न्याय संहिता, की धारा 318(4), 351(3), 338, 336(3), 340(2), थाना-नवाबाद, ज़िला-झाँसी के अंतर्गत दाखिल किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। आरोप यह है कि पैसे लेकर झाँसी ज़िले में एनएचएम या मेडिकल कॉलेज में नौकरी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिलाने का वादा किया गया था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि पैसे देकर ऐसी कोई नौकरी नहीं मिल सकती। आवेदक पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। पैसों का लेन-देन केवल आवेदक की पत्नी के साथ हुआ है और आवेदक के खाते में ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जिससे इस अपराध में उसकी मिलीभगत का पता चले। आवेदक का एक और आपराधिक इतिहास है, जिसमें पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है। आवेदक ने अपनी पत्नी के विरुद्ध तलाक की याचिका भी दाखिल की है।

4. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक और उसकी पत्नी ने भोले-भाले और अनजान लोगों को नौकरी दिलाने का वादा करके उनसे बड़ी रकम ली है। पैसों का लेन-देन अभियुक्त की पत्नी के बैंक खाते में किया गया और आवेदक ने नकद पैसे लिए। उन्होंने कहा कि चूंकि आवेदक एक नियमित वार्ड बॉय के तौर पर काम करता था, इसलिए उसने आय के अज्ञात स्रोत के बारे में किसी भी विभागीय कार्रवाई से बचने के लिए जान-बूझकर अपनी पत्नी के खाते में पैसे लिए। सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि गवाह साहब सिंह पाल एवं श्रीमती कुंती रैकवार के बयान दर्ज किए गए हैं, जिन्हें भी आवेदक एवं उसकी पत्नी द्वारा ठगा गया है और अपने बयानों में उन्होंने सह-अभियुक्त के बैंक खाते में धनराशि के हस्तांतरण का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। आवेदक का इसी तरह के एक प्रकरण में आपराधिक इतिहास रहा है, जो थाना नदबई, जिला भरतपुर, राजस्थान में दर्ज किया गया था, उस प्रकरण में भी आवेदक और उसकी पत्नी पर झांसी जिले में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेने का आरोप था। भले ही उस प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी गई हो, लेकिन मौजूदा विवेचना में दर्ज गवाहों के बयानों से यह साफ है कि आवेदक और उसकी पत्नी ने भोले-भाले लोगों को धोखा दिया है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने सूचनाकर्ता के अधिवक्ता की दलीलों का समर्थन किया है। हालाँकि, उन्होंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताए गए आपराधिक इतिहास के अलावा किसी और आपराधिक इतिहास का जिक्र नहीं किया है।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है।

7. इस न्यायालय ने आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 4985 सन् 2026 में, दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की थी:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर आम लोगों से अनाधिकृत लोगों द्वारा पैसे लेना एक समस्या बन गया है। इसमें कोई शक नहीं कि यह भी उतनी ही बड़ी समस्या है कि आम लोग भी पैसे देने को तैयार रहते हैं और असल में खुद भी इस अपराध में शामिल हो जाते हैं।"

8. सूचनाकर्ता के अलावा, साहब सिंह पाल और श्रीमती कुंती रायकवार ने भी बताया है कि आवेदक और उनकी पत्नी ने मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलाने का वादा किया था। आवेदक की पत्नी, कंचन प्रजापति के खाते में हुए लेन-देन की जानकारी इन गवाहों के बयानों में दी गई है। विवेचना के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों से आवेदक के खिलाफ परिस्थितियों की जो कड़ी सामने आई है, वह काफी ठोस है और इसके लिए गहन विवेचना की ज़रूरत है। न्यायालय की राय में, अग्रिम ज़मानत देने का कोई आधार नहीं बनता है और अग्रिम ज़मानत की प्रार्थना पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि यदि आवेदक संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर नियमित ज़मानत के लिए प्रार्थना पत्र देता है, तो उसकी ज़मानत प्रार्थना पत्र पर इस आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना शीघ्रतापूर्वक विचार किया जाएगा और उसका निस्तारण किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

18 अगस्त, 2026

ए. पांडे